न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः—108 / 2017

1. प्रवीन
2. जीतेन्द्र पुत्रान राजेन्द्र सिंह जाति जाट
3. कृष्णा
4. करिश्मा पुत्री राजेन्द्र सिंह समस्त नाबालिग जरिये प्राकृतिक बली मां ओमवती पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कुरका।
5. रेनू
6. तनू पुत्रीयान रामेश्वर नाबालिग जरिये प्राकृतिक बली मां श्यामवती पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी कुरका।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. सम्पति सिंह पुत्र हट्टी जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. उप पंजीयक महोदय उप तहसील उच्चैन हाल तहसील उच्चैन।
3. नायब तहसीलदार महोदय उप तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

प्रकरण संख्याः— 114 / 2017

1. रामेश्वर पुत्र संपतसिंह जाति जाट निवासी कुरका तहसील रूपवास हाल उच्चैन।
2. पुष्पा पुत्री संपतसिंह पत्नि ओमप्रकाश
3. सुन्दरदेई पुत्री संपतसिंह पत्नि गोपालराम जातियान जाट निवासीयान नगला झामरा पोस्ट पुराबाई खेडा, तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. संपतसिंह पुत्र हट्टी जाति जाट निवासी कुरका तहसील रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर राज0।

.....अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट।
2. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः—18.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 66 / 0.10, 68 / 2.17, 92 / 3.11, 199 / 1.17, 247 / 1.06, 784 / 1.12, 788 / 1.10, 794 / 0.12, 799 / 0.18, 860 / 0.15, 862 / 0.08, 1035 / 0.17, 1054 / 1, 2584 / 781 / 1.11, 2593 / 861 / 0.10, 2612 / 1057 / 1.10, 2747 / 203 / 0.04, 2756 / 224 / 1.05, 3001 / 859 / 0.11, 3003 / 863, 3201 / 1768 / 0.09, 3424 / 2092 / 1.17,3632 / 2505 / 202 / 1.08, 3640 / 2535 / 0.08,

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

3665/27/519/2.04, 3748/789/0.15, 4020/2454/0.08, 4052/2581/1, 2749/207/1.15, 3281/1965/2.09 कुल किता 30 कुल रकवा 36 बीघा 03 विस्वा बाके ग्राम कुरका में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के बाबा हट्टी की छोडी हुयी आराजी है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाते है चूंकि विवादित आराजी पैत्रिक है अतः हम वादीगण वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी का बेचान कराना चाहता है एवं अप्रार्थी अपने छोटे लडके के लिए पत्नि एवं पुत्री होने के बाबजूद भी एक औरत ले आया है एवं उस औरत के नाम से जमीन खरीद करना चाहते है। दिनांक 13.11.2017 को जब हम प्रार्थीगण अपनी आराजी में पानी दे रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्रों के साथ आराजी विवादित पर आ गया एवं विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं उक्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दी जिसके कारण अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 114/2017 वउनवानी रामेश्वर बनाम संपतसिंह के संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 66/0.10, 68/2.17, 92/3.11, 199/1.17, 247/1.06, 784/1.12, 788/1.10, 794/0.12, 799/0.18, 860/0.15, 862/0.08, 1035/0.17, 1054/1, 2584/781/1.11, 2593/861/0.10, 2612/1057/1.10, 2747/203/0.04, 2756/224/1.05, 3001/859/0.11, 3003/863, 3201/1768/0.09, 3424/2092/1.17,3632/2505/202/1.08, 3640/2535/0.08, 3665/27/519/2.04, 3748/789/0.15, 4020/2454/0.08, 4052/2581/1, 3281/1965/2.09 कुल किता 29 कुल रकवा 34 बीघा 08 विस्वा बाके ग्राम कुरका में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी उक्त विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। प्रार्थी संख्या 1' पुलिस में नौकरी करता है एवं अक्सर बहार रहता है। प्रतिवादी संख्या 2 लालची व बेइमान किस्म का व्यक्ति है जो अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की सम्पूर्ण आराजी का वयनामा अपने नाम कराने की फिराक में है। प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म लेते ही खातेदारी अधिकार उक्त विवादित आराजी में प्राप्त हो जाते है। दिनांक 13.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 2, अप्रार्थी को अपने साथ उपपंजीयक कार्यालय ले गया एवं अपने हक में वयनामा कराने वाला था एवं पता चलने पर धमकी दी कि जब तू ड्यूटी पर जायेगा तो तुम्हारे पीछे से उक्त आराजी का बयनामा अपने नाम कराकर किसी दीगर लठैत व्यक्ति को बेचान कर दूंगा और तुमको तुम्हारे अधिकारों से बंचित कर दूंगा। जिसके कारण अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 02.05.2018 को प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रकरण के साथ पश्चातवर्ति प्रकरण प्रकरण संख्या 114/2017 उनवानी रामेश्वर बनाम संपतसिंह को समेकित किया गया। दिनांक 08.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

सम्पत्ति में ही पुत्र तथा पुत्री को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त होते है। प्रपौत्र एवं प्रपौत्री को बाबा की सम्पत्ति में जन्म लेते ही किसी प्रकार के कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के लिए पैत्रिक आराजी नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जो सजरा पेश किया है वह गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के किसी भी हिस्से पर प्रार्थीगण का कोई भी कब्जा नहीं है और विवादित आराजी पर कभी भी प्रार्थीगण की कोई काश्त नहीं रही है। प्रार्थी संख्या 5 व 6 की मां अपने पति से बिना किसी कारण के अलग रह रही है एवं प्रार्थी संख्या 5 व 6 अपने पिता से जरिये मां काफी समय से भरण पोषण प्राप्त कर रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यों को तोड मरोड कर झूठा दर्ज कराया है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के बाबा की छोडी हुयी पैत्रिक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण को जन्म लेते ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी को बेचान कर खुर्द बुर्द करना चाहता है एवं प्रार्थीगण को अनके हकों से महरूम रखना चाहता है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी नहीं है और नाही उक्त आराजी में प्रार्थीगण को जन्म लेते ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। एव ना ही विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की कभी कोई कब्जा काश्त रही है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। दोनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न शपथ पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2033–2036, 2070–73 का अवलोकन किया गया उक्त आराजी विवादित प्रार्थीगण के बाबा हट्टी पुत्र जबरे की छोडी हुयी पैत्रिक आराजी है। चुंकि उक्त आराजी विवादित पैत्रिक है एवं प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विवादित जायदाद में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया है उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण न्याय हेतु विवादित जायदाद की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 108/2017 उनवानी प्रवीन बनाम सम्पति सिंह एवं प्रकरण संख्या 114/2017 उनवानी रामेश्वर बनाम संपतसिंह स्वीकार किये जाते है। अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस आशय की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 66/0.10, 68/2.17,, 92/3.11, 199/1.17, 247/1.06, 784/1.12, 788/1.10, 794/0.12, 799/0.18, 860/0.15, 862/0.08, 1035/0.17, 1054/1, 2584/781/1.11, 2593/861/0.10, 2612/1057/1.10, 2747/203/0.04,

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

2756/224/1.05, 3001/859/0.11, 3003/863, 3201/1768/0.09, 3424/2092/1.17,3632/2505/202/1.08, 3640/2535/0.08, 3665/27/519/2.04, 3748/789/0.15, 4020/2454/0.08, 4052/2581/1, 2749/207/1.15, 3281/1965/2.09 कुल किता 30 कुल रकवा 36 बीघा 03 विस्वा बाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर